सत्यमेव जयते

Signature: AJAY KUMAR MISHRA
ACC Code: UP14314804
Mobile No.: [illegible]
Tehsil: Lalganj, District: Azamgarh

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP1[illegible]U
Certificate Issued Date	:	14-Jul-2022 04:45 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14314804/ LALGANJ/ UP-AZG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1431480425[illegible]U
Purchased by	:	RAVINDRA KUMAR MISHRA SO GANESH MISHRA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	GRAM- KHARAILA, POST- SARAI PALTU, TEH- LALGANJ AZAMGARH
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MAA RAJESHWARI DEVI EDUCATIONAL TRUST
Second Party	:	RAVINDRA KUMAR MISHRA SO GANESH MISHRA
Stamp Duty Paid By	:	RAVINDRA KUMAR MISHRA SO GANESH MISHRA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,250 (One Thousand Two Hundred And Fifty only)

1250/-

0004655068

[illegible]

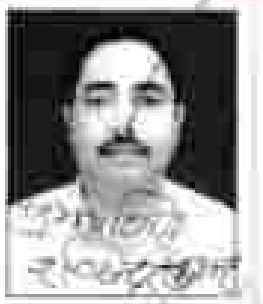

(1)

Trust Deed (न्यास विलेख)

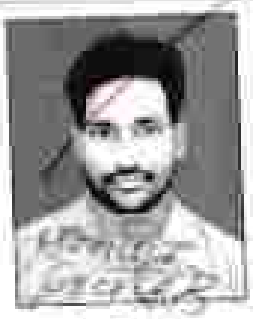

माँ राजेश्वरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट

आज दिनांक 24-08-2022 को मैं संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी **रविन्द्र कुमार मिश्रा** पुत्र श्री गनेश मिश्रा निवासी ग्राम-खरैला, पो0 सरायपल्टू, तहसील लालगंज, जिला-आजमगढ़ उ0प्र0 **"माँ राजेश्वरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट"** नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ। मैं समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा मेरे मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन रहता है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति, आपसी सद्भाव, सदाचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज में व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे- भोजन, शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिये शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाये। समाज के सर्वांगीण विकास एवं जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने और उससे लोगों को अत्यधिक लाभ प्रदान करने के लिये तथा विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित करने हेतु **माँ विन्ध्यवासिनी देवी की असीम अनुकम्पा** से मेरे द्वारा एक कल्याणकारी न्यास (ट्रस्ट) **"माँ राजेश्वरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट"** की स्थापना की गयी है। मेरे द्वारा उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिये इस ट्रस्ट की स्थापना हेतु 11000/-(ग्यारह हजार रुपये मात्र) का योगदान किया गया है। और भविष्य में भी इस ट्रस्ट न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त समय- 2 पर दान दाताओं से प्राप्त की गई धन राशि सरकारी व

गैर सरकारी संगठनो,निगमित सामाजिक दायित्व/कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी (सीएसआर), विदेशी अनुदान तथा किसी संस्था अथवा सोसाइटी द्वारा दी गई रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी न्यास/ट्रस्ट पर प्रोविजन इनकम टैक्स 1961 की सभी शर्तें लागू होंगी एवं सम्यक रुप से 12ए बी, 80 जी 35एसी एफसीआरए आदि में पंजीकृत कराया जायेगा ।

मेरे द्वारा स्थापित इस न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के लिये एक न्यास विलेख **(Trust Deed)** को निष्पादित किया गया है। जिसकी व्याख्या निम्न प्रकार की जायेगी।

यह कि हम मुकिर को इस ट्रस्ट का **संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी(न्यासी) (मैनेजिंग ट्रस्टी)/अध्यक्ष/चेयरमैन** कहा जायेगा। जिसमें मैं रविन्द्र कुमार मिश्र इस ट्रस्ट (न्यास) में मुख्य ट्रस्टी /प्रबन्धक/संस्थापक हूँ। जिसे प्रथम पक्ष कहा गया है। और ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्यों के सम्पादन हेतु मैं अपने विवेकानुसार स्वयं के अलावा अन्य सदस्यों को नामित करता हूँ जो निम्नलिखित है–

1. श्री प्रशान्त मिश्रा पुत्र श्री राकेश मिश्रा निवासी ग्राम–छरैला, पो0 सरायपल्टू, तह0–लालगंज, जिला आजमगढ़ उ0 प्र0 ।
2. श्रीमती सविता मिश्रा पत्नी श्री रविन्द्र कु0 मिश्रा निवासी ग्राम– उपरोक्त ।
3. श्रीमती सुचिता पत्नी विरेन्द्र मिश्रा निवासी निवासी ग्राम– उपरोक्त।
4. श्री विभू त्रिपाठी पुत्र श्री डॉ0 जे0 के0 त्रिपाठी निवासी ग्राम– दिलीयॅ, पो0–रानी की सराय, आजमगढ़ उ0प्र0।

जिन्हें ट्रस्टडीड (न्यास विलेख) में **सदस्य न्यासी** (ट्रस्टी) कहा गया है, जो द्वितीय पक्ष है। जिसमें हम मुकिर रविन्द्र कुमार मिश्रा उपरोक्त ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्यन्यासी/अध्यक्ष/प्रबन्धक और ट्रस्ट के सदस्य न्यासी (ट्रस्टीज) को मिलाकर गठित संगठन को **न्यास मण्डल** (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) कहा जायेगा।

यह कि मैं रविन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री गनेश मिश्र ग्राम–छरैला, पो0 सरायपल्टू, जिला–आजमगढ़ के स्थाई निवासी हूँ और मेरा आधार नं0 5337 6447 2044 है। मैं **मुख्य न्यासी** (प्रबन्धक/अध्यक्ष) के रुप में आज दिनांक 24.08.2022 को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत निम्न प्रकार ट्रस्ट डीड के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु इस ट्रस्ट(न्यास) की स्थापना कर रहा हूँ। इस ट्रस्ट (न्यास) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शिक्षा के प्रसार हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय जन जागृति का कार्य करना तथा शिक्षा के विकास हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करना है। हम मुख्य न्यासी/प्रबन्धक ट्रस्ट के उद्देश्यों को कार्य रुप में

लाने के लिये इस जनकल्याणकारी सामाजिक व शैक्षिक ट्रस्ट का विलेख अपने स्वस्थ मन व विचार से आज निष्पादित कर रहा हूँ। जो प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।

यह कि इस ट्रस्ट को **"माँ राजेश्वरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट"** के नाम से जाना जायेगा। जिसकी वर्तमान रजिस्टर्ड कार्यालय ग्राम–खरैला, पो0 सरायपल्टू, जिला–आजमगढ़ (उ0प्र0) में स्थापित हुई है। ट्रस्टीज को यह अधिकार है कि भविष्य में आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नाम व कार्यालय के स्थान परिवर्तन का निर्णय कर सकते है। यदि वे ऐसा अपने सुविधानुसार चाहे तो।

1. **ट्रस्ट (न्यास) का नाम** – इस ट्रस्ट का नाम **माँ राजेश्वरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट** है।
2. **ट्रस्ट का पता** – इस ट्रस्ट का स्थाई पता ग्राम–खरैला, पो0– सरायपल्टू, तह0–लालगंज, जिला–आजमगढ़ (उ0प्र0) है। जिसकी वर्तमान कार्यालय, ग्राम–खरैला पो0–सरायपल्टू, तह0–लालगंज, जिला– आजमगढ़ (उ0प्र0)–276302 में स्थापित होगी।
3. **कार्य क्षेत्र**–ट्रस्ट (न्यास) का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत वर्ष में होगा।
4. **ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्य निम्नलिखित है–**

(1) कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ट्रस्ट द्वारा प्राईमरी से उच्च स्तर तक बालक–बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना तथा इस कार्य हेतु अनुदान लेना, भूमि व भवन के लिये धन संग्रह करना अथवा उसका उपयोग करना। तथा स्कूलों, कालेजो के संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंको में स्कूलों, कालेजो के नाम से खाता खोलना व संचालन करना।

(2) कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों, कान्वेण्ट स्कूल, बाल श्रमिक विद्यालयों, आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयों, हिन्दी–अंग्रेजी व संस्कृत माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, तकनीकी, औद्योगिक, प्राविधिक व प्रौद्योगिक संस्थाओं, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों तथा कृषि शिक्षा विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(3) गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बाल श्रमिक, दलित, पिछड़ों, मेधावी, निराश्रित, असहाय तथा मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, वीरगति प्राप्त, विकलांग सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तके प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनके लिये सरकार द्वारा छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना।

(4) निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रिडा स्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विधवा नारी निकेतनों, बाल संरक्षण गृहो, सामुदायिक विकास व उत्पादन केन्द्रो, संग्रहालयों आदि की स्थापना व संचालन करना।

(5) पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन या वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा सरकारी अर्द्धसरकारी, प्राईवेट व खाली पड़ी ग्राम समाज की

जमीन (ऊसर, बंजर, नवीन परती) भूमि पर आर्थिक महत्व वाले पौधे व पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धित वृक्षारोपण करना।

(6) कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, चित्रकला, हस्त शिल्प कला, काष्ठ कला, कम्प्यूटर टंकण आशुलिपिक, फिटर, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग व पेंटिंग, जरीकढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कालिन बुनाई, संगीत नाट्य, वाद्य कला, नृत्य आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

(7) भारत सरकार, व राज्य सरकार द्वारा संचालित जिला, तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर शिक्षा विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

(8) बेरोजगार युवक–युवतियों को शिक्षित–प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना तथा उनके अन्दर देश भक्ति व राष्ट्रहित की भावना जागृत करना।

(9) बालक–बालिकाओं, कलाकारों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिये समय–समय पर खेलों, सेमिनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन व संचालन करना तथा सफल बालक–बालिकाओं, कलाकारों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने का प्रयास करना।

(10) समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे–बाल विवाह, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति तथा नशा, शराब, गांजा, अफिम, भांग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविर एवं नशा उन्मूलन केन्द्रों आदि की निःशुल्क स्थापना एवं संचालन करना।

(11) दैवीय आपदा जैसे, बाढ़, सूखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि तूफान आदि के समय पीड़ित लोगों की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों की निःशुल्क भोजन, दवा–इलाज, आवास, वस्त्र आदि प्रदान करने का प्रयास करना तथा इस कार्य हेतु अनुदान व चन्दा एकत्रित कर हर सम्भव मदद करना।

(12) ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान, चन्दा लेना, जमीन का पट्टा व दान पत्र एवं रजिस्ट्री कराना तथा किसी व्यक्ति, समाज व सरकार से धनराशि की व्यवस्था करना और चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना व संचालित स्कूलों, कालेजों के लिये अनुदान, लोन, दान आदि को प्राप्त करना, मांग करना, व प्रस्ताव करना।

(13) कृषि विकास में सहयोगी पशुपालन, गौ पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन आदि व्यवसाय करना तथा इसकी सलाह देना व संचालित कराना तथा बेरोजगारों को इसके निमित्त प्रशिक्षण देना तथा कृषि कार्य हेतु भूमि खरिदना एवं अन्न उत्पादन करना।

(14) ट्रस्ट द्वारा गौ शाला की स्थापना करना तथा पशुओं के लिए चारा इत्यादि की व्यवस्था करना व अनुदान लेना ।

(15) गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एन0सी0आर0ए0 की समस्त योजनाओं को जनहित में संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित परिवार जनों के कल्याण के लिये कार्य करना।

(16) कस्तूरबा गाँधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना तथा गरीब असहाय छात्र/छात्राओं के लिये मिड–डे–मिल योजनाओं का क्रियान्वयन वित्तीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

(17) समयानुसार उत्तर प्रदेश सहित भारत के अनेक राज्यों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उच्च स्तर के कालेजों की स्थापना कर उनमें– बी0ए0, एम0ए0, बी0एल0एड0, बी0पी0एड0, बी0टी0सी0, डी0एल0एड0, बी0एड0 इत्यादि का संचालन करना तथा आई0टी0आई, पालीटेक्निक, महिला आई0टी0आई0, एल0एल0बी0 आदि प्रशिक्षण केन्द्रों व तकनीकी संस्थानों एवं डिग्री कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों और आयुर्वेदिक, एलोपैथी व होमियोपैथी पद्धति के मेडिकल कालेजों, फार्मेसी कालेजों, नर्सिंग व पैरामेडिकल कालेजों तथा यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों/कालेजों की तथा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना। एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा संचालित पाठ्यचर्या के अनुसार पुस्तकों को शिक्षण संस्थाओं में संचालित करना।

(18) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार यूनीसेफ, डब्लू0एच0ओ0, सिडवी, अपार्ड, कपार्ट, नाबार्ड, नीपसी, सूडा, डूडा, नवाकरा, डी0आर0डी0ए0, आई0आर0डी0पी0, एस0जी0आर0वाई0, जे0आर0वाई0, मनरेगा, अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वजलधारा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना।

(19) बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा बंधुआ मजदूरों को मुक्त करा कर, उन्हें तथा बाल श्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर रोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

(20) ट्रस्ट द्वारा संस्थाओं की स्थापना व संचालन हेतु भूमि क्रय करना एवं भवन निर्माण करना। यदि किसी कारण वश भविष्य में उस भूमि पर संस्थाओं के स्थापना व संचालन में कोई भी व्यवधान होगा तो उस भूमि को ट्रस्ट द्वारा कृषि कार्य में उपयोग करना एवं आवश्यकतानुसार विक्रय करना तथा कृषि सम्बन्धित अन्य कार्यों को करना एवं वृक्षारोपण कराना।

(21) ट्रस्ट द्वारा सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य करना एवं ट्रस्ट की भूमि पर धर्मशाला मठ मंदिर इत्यादि का समयानुसार निर्माण करना तथा संस्थाओं के अतिरिक्त कृषि हेतु भूमि क्रय करना एवं अन्न उत्पादन करना।

(22) सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों, संस्थाओं, कम्पनी, निजी तौर से आर्थिक सहायता प्राप्त कर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट–चल, व अचल, सम्पत्ति शामिल है। आवश्यकतानुसार बैंकों से ऋण या सहायता प्राप्त करना।

(23) ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु ट्रस्ट के अध्यक्ष/प्रबन्धक/मुख्य न्यासी द्वारा चल–अचल सम्पत्ति का पूर्ण उपयोग करना।

(24) यह कि उक्त ट्रस्ट को संस्थापक कभी भी अपनी स्वेच्छा से विघटन नहीं कर सकेगा। यह ट्रस्ट एक अटल खण्ड अर्थात अखण्डनीय ट्रस्ट है। यदि किसी कारणवश उक्त ट्रस्ट का विघटन किया गया तो इसकी समस्त सम्पत्ति किसी भी हालत में इसके कार्यकर्ताओं अथवा सदस्यों में विभाजित नहीं की जायेगी। वरन नियमानुसार इस ट्रस्ट का विलय ऐसी किसी अन्य संस्था/ट्रस्ट में कर दिया जायेगा, जो कि इसके समान उद्देश्यों वाली हो।

(25) यह कि उक्त ट्रस्ट की कोई भी सेवा किसी जाति, पंथ एवं सम्प्रदाय के लिये नहीं वरन समस्त मानव जाति के हितार्थ बिना किसी भेद-भाव के की जायेगी।

(26) यह कि उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं आय से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपयोग की जायेगी। तथा आय का कोई भी हिस्सा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं व सदस्यों के हित में खर्च नहीं किया जायेगा। यहाँ तक कि ट्रस्ट का अध्यक्ष भी अपने निजी कार्य हेतु ट्रस्ट की सम्पत्ति का उपयोग तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को नष्ट नहीं कर पायेगा।

5. **ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारी (ट्रस्टीज)** :- ट्रस्ट (न्यास) के निम्नलिखित पाँच पदाधिकारी (ट्रस्टीज) के रूप में कार्य सौंपा गया है। जिनका नाम, स्थाई पता व पद इस प्रकार है-

क्र0सं	नाम ट्रस्टी/न्यासी	पद	स्थायी पता	व्यवसाय
1.	श्री रविन्द्र कुमार मिश्र	अध्यक्ष/प्रबन्धक (मुख्य ट्रस्टी)	ग्राम खरैला पो0 सरायमसरूद जिला आजमगढ़ (उ0प्र0)	शैक्षणिक प्रबन्धन एवं समाज सेवा
2.	श्री प्रशान्त मिश्र	सचिव/सदस्य ट्रस्टी	ग्राम खरैला पो0 सरायमसरूद जिला आजमगढ़ (उ0प्र0)	शैक्षणिक प्रबन्धन एवं समाज सेवा
3.	श्रीमती ललिता मिश्र	कोषाध्यक्ष/ सदस्य ट्रस्टी	ग्राम खरैला पो0 सरायमसरूद जिला गाजीपुर (उ0प्र0)	गृह कार्य
4.	श्रीमती सुनिता मिश्र	सदस्य ट्रस्टी	ग्राम खरैला पो0 सरायमसरूद जिला आजमगढ़ (उ0प्र0)	अध्यापन
5.	श्री शिशु त्रिपाठी	सदस्य ट्रस्टी	ग्राम दिलौरी पो0-रानी की सराय जिला आजमगढ़ (उ0प्र0)	अध्ययन

6. **न्यास मण्डल का गठन(बोर्ड आफ ट्रस्टीज)**- यह कि ट्रस्ट के प्रबन्धन सम्बन्धी (न्यास मण्डल) का गठन 5 सदस्यों (ट्रस्टीज) द्वारा किया जायेगा, जिसमें एक अध्यक्ष/प्रबन्धक/मुख्य न्यासी, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष व दो सदस्य रहेंगे। ट्रस्ट (न्यास) के इस बोर्ड का गठन प्रबन्धक/मुख्य न्यासी की उपस्थिति में उसके विवेकानुसार होगा। इस कार्य में सभी पदाधिकारी (ट्रस्टीज) प्रबन्धक का सहयोग करेंगे तथा प्रबंधक/मुख्य न्यासी के निर्णय से सहमत रहेंगे। प्रबंधक/मुख्य न्यासी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। ट्रस्ट के प्रबंधन सम्बन्धी सभी अधिकार प्रबंधक (मुख्य न्यासी), के पास सुरक्षित रहेगा। सभी सदस्य प्रबंधक/मुख्य न्यासी के अन्तिम निर्णय को मानेंगे।

(24) यह कि उक्त ट्रस्ट को संस्थापक कभी भी अपनी स्वेच्छा से विघटन नहीं कर सकेगा। यह ट्रस्ट एक अटल खण्ड अर्थात अखण्डनीय ट्रस्ट है। यदि किसी कारणवश उक्त ट्रस्ट का विघटन किया गया तो इसकी समस्त सम्पत्ति किसी भी हालत में इसके कार्यकर्ताओं अथवा सदस्यों में विभाजित नहीं की जायेगी। वरन नियमानुसार इस ट्रस्ट का विलय ऐसी किसी अन्य संस्था/ट्रस्ट में कर दिया जायेगा, जो कि इसके समान उद्देश्यों वाली हो।

(25) यह कि उक्त ट्रस्ट की कोई भी सेवा किसी जाति, पंथ एवं सम्प्रदाय के लिये नहीं वरन समस्त मानव जाति के हितार्थ बिना किसी भेद–भाव के की जायेगी।

(26) यह कि उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं आय से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपयोग की जायेगी। तथा आय का कोई भी हिस्सा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं व सदस्यों के हित में खर्च नहीं किया जायेगा। यहाँ तक कि ट्रस्ट का अध्यक्ष भी अपने निजी कार्य हेतु ट्रस्ट की सम्पत्ति का उपयोग तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को नष्ट नहीं कर पायेगा।

5. **ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारी (ट्रस्टीज)** :– ट्रस्ट (न्यास) के निम्नलिखित पाँच पदाधिकारी (ट्रस्टीज) के रुप में कार्य सौंपा गया है। जिनका नाम, स्थाई पता व पद इस प्रकार है–

क्र0सं.	नाम ट्रस्टी/न्यासी	पद	स्थायी पता	व्यवसाय
1	श्री रविन्द्र कुमार मिश्र	अध्यक्ष/प्रबन्धक (मुख्य ट्रस्टी)	ग्राम खरैला पो0 सरायमन्दू जिला आजमगढ़ (उ0प्र0)	शैक्षणिक प्रबन्धन एवं समाज सेवा
2	श्री प्रशान्त मिश्रा	सचिव/सदस्य ट्रस्टी	ग्राम खरैला पो0 सरायमन्दू जिला आजमगढ़ (उ0प्र0)	शैक्षणिक प्रबन्धन एवं समाज सेवा
3	श्रीमती सरिता मिश्रा	कोषाध्यक्ष/सदस्य ट्रस्टी	ग्राम खरैला पो0 सरायमन्दू जिला गाजीपुर (उ0प्र0)	गृह कार्य
4	श्रीमती सुष्मिता मिश्रा	सदस्य ट्रस्टी	ग्राम खरैला पो0 सरायमन्दू जिला आजमगढ़ (उ0प्र0)	अध्ययन
5	श्री रिंकू तिवारी	सदस्य ट्रस्टी	ग्राम खरैला पो0 सरायमन्दू जिला आजमगढ़ (उ0प्र0)	अध्ययन

6. **न्यास मण्डल का गठन(बोर्ड आफ ट्रस्टीज)**– यह कि ट्रस्ट के प्रबन्धन सम्बन्धी (न्यास मण्डल) का गठन 5 सदस्यों (ट्रस्टीज) द्वारा किया जायेगा, जिसमें एक अध्यक्ष/प्रबन्धक/मुख्य न्यासी, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष व दो सदस्य होंगे। ट्रस्ट (न्यास) के इस बोर्ड का गठन प्रबन्धक/मुख्य न्यासी की उपस्थिति में उसके निर्देशानुसार होगा। इस कार्य में सभी पदाधिकारी (ट्रस्टीज) प्रबन्धक का सहयोग करेंगे तथा प्रबंधक/मुख्य न्यासी के निर्णय से सहमत रहेंगे। प्रबंधक/मुख्य न्यासी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। ट्रस्ट के प्रबंधन सम्बन्धी सभी अधिकार प्रबंधक (मुख्य न्यासी), के पास सुरक्षित रहेगा। सभी सदस्य प्रबंधक/मुख्य न्यासी के अन्तिम निर्णय को मानेंगे।

7. **बैठक तथा कोरम**–यह कि न्यास मण्डल की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी, आवश्यकता पड़ने पर विशेष या आवश्यक बैठक प्रबंधक/अध्यक्ष/मुख्यन्यासी द्वारा किसी भी समय बुलायी जा सकती है। जिसमें ट्रस्ट के संचालन व क्रिया–कलापों, ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया–कलापों की चर्चा व लेखा–जोखा तथा अन्य आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे। सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष/प्रबंधक(मुख्य न्यासी) द्वारा किया जायेगा। बोर्ड आफ ट्रस्टी का कोरम कुल सदस्यों/पदाधिकारियों का 2/3 उपस्थिति के आधार पर माना जायेगा। कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचार हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

8. **सूचना अवधि**–यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों को कम से कम 7–दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

9. **सदस्यता या पद की समाप्ति**: यह कि ट्रस्ट के सदस्यों की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जायेगी।
   (1) किसी सदस्य/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर।
   (2) किसी सदस्य/ट्रस्टी के मानसिक अस्वस्थ (पागल) होने या दिवालिया घोषित किये जाने पर।
   (3) ट्रस्ट (न्यास) में हेरा–फेरी व अवैध कार्य करने पर एवं नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर।
   (4) स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर या बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
   (5) न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक,अपराधिक मुकदमें में दोष सिद्ध किये जाने पर।
   (6) किसी सदस्य द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध अनैतिक कार्य करने पर, गैर कानूनी अथवा अपराधिक कार्य करने पर या ट्रस्ट के विरुद्ध षड़यंत्र करने पर किसी भी समय उस सदस्य को प्रबन्धक अपने विशेषाधिकार या विवेकानुसार निष्कासित कर सकता है।

10. **कार्यकाल**– यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी (न्यास मण्डल) का कार्य काल ट्रस्ट के स्थापना तिथि से लेकर आजीवन होगा। ट्रस्ट के सदस्यों व पदाधिकारियों (ट्रस्टी) का कार्यकाल उसके कार्यों (कार्य कौशल व ईमानदारी) को देखते हुए यथावत रहेगा या ट्रस्ट विरोधी गतिविधि में दोषी पाये जाने पर उस सदस्य को प्रबन्धक द्वारा अपने विवेकानुसार किसी भी समय निष्कासित किया जायेगा। प्रबन्धक/अध्यक्ष/मुख्यन्यासी का पद जीवन पर्यन्त चलता रहेगा। और प्रबन्धक/मुख्यन्यासी/अध्यक्ष का पद पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत चलता रहेगा अर्थात प्रबन्धक/मुख्यन्यासी/अध्यक्ष का पुत्र ही ट्रस्ट के प्रबन्धक/मुख्यन्यासी पद का उत्तराधिकारी होगा।

11. ट्रस्टीज (न्यास) सदस्यों के प्रबंध सम्बन्धी अधिकार व कर्तव्य–

(1) ट्रस्ट(न्यास) हित में संस्थाओं के संचालन हेतु उप समितियों, उप कमेटियों का गठन एवं संचालन करना और सहयोग करना।

(2) ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे बोर्ड आफ ट्रस्टी के सामने प्रस्तुत कर प्रबंधक द्वारा अनुमोदित करवाना।

(3) कर्मचारियों की नियुक्ति,पदोन्नोति,पदच्युति,वेतन वृद्धि,नियमितीकरण या अन्य कार्यवाही में प्रबंधक का सहयोग करना।

(4) ट्रस्ट के विकास के लिये चल–अचल सम्पत्ति जुटाना तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं (विद्यालय व कालेजों) के लिये भूमि व भवन के निर्माण हेतु अनुदान की व्यवस्था करना तथा उसकी सुरक्षा करना।

(5) स्वयं के भंग होने पर अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर या नये चुनाव तक अध्यक्ष/प्रबन्धक/मुख्य न्यासी की इच्छानुसार कार्य करना।

(6) ट्रस्ट के प्रबन्धन समिति का ट्रस्ट के सम्पत्ति पर पूर्ण नियंत्रण होगा। ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भूमि को खरीदने का, बेचने का अथवा उस पर बिल्डिंग या भवन निर्माण कराने हेतु किसी कोष या सम्पत्ति को जुटाने व खर्च करने का अध्यक्ष/प्रबन्धक/मुख्य न्यासी को पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्ट की सारी चल–अचल सम्पत्ति भारतीय टैक्स एक्ट–1961 के नियम, अधिनियम के तहत कर मुक्त रहेगा।

(7) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्टीज द्वारा अनुदान प्राप्त करना, ऋण लेना, धन को प्लेज करना अथवा ट्रस्ट के हित में किसी व्यवसाय में या संचालित संस्थाओं की स्थापना व संचालन हेतु प्रबन्धक/मुख्यन्यासी को ट्रस्ट के धन (सम्पत्ति) का शत–प्रतिशत तक उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(8) ट्रस्ट के चल–अचल सम्पत्ति का उपयोग ट्रस्ट के कोष को बढ़ाने के लिये एवं ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं के विकास हेतु और ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा सकता है।

(9) ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों, कालेजों के निर्माण व स्थापना एवं संचालन करने के लिये करना।

(10) ट्रस्ट के सदस्य स्थायी नहीं रहेंगे उनके कार्य को देखते हुए हटाये या कार्यकाल को बढ़ाये जा सकते है। यह प्रबन्धक का विशेषाधिकार होगा।

(11) कोई भी ट्रस्टी (न्यास सदस्य) ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता।

12. रिक्त स्थानों की पूर्ति/उत्तराधिकारी का नियम (घोषणा)– यह कि ट्रस्ट/न्यास के किसी सदस्यों के मृत्यु होने पर या किसी अनुचित कार्य मे दोषी पाये जाने के कारण निष्कासित किये जाने पर रिक्त हुए स्थान की पूर्ति (चयन) प्रबन्धक/मुख्यन्यासी अपने विवेकानुसार करेगा। उसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रबन्धक का पुत्र ही प्रबन्धक/मुख्यन्यासी के स्थान पर नियुक्त होगा। प्रबन्धक का यह पद वंशानुगत चलता रहेगा। यदि उत्तराधिकारी को लेकर दोनो पुत्रों मे विवाद होता है। तो बोर्ड आफ ट्रस्टीज (न्यास मण्डल) के तीन सदस्यों के बहुमत के आधार पर जिस योग्य पुत्र को चाहेंगे उसे ट्रस्ट का प्रबन्धक/मुख्य न्यासी(उत्तराधिकारी) बना सकते है। और यदि प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) स्वयं चाहे तो अपने कार्यकाल के दौरान ही जीवित रहते हुए दोनो पुत्रों में से

किसी एक योग्य पुत्र को अपने विवेकानुसार लिखित तौर पर अपना उत्तराधिकारी (प्रबन्धक) घोषित कर सकता है। प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) का पद उत्तराधिकारी के इसी नियम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत चलता रहेगा। ट्रस्ट द्वारा कृषि कार्य हेतु खरीदी गई भूमि या ट्रस्ट की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के दोनो पुत्रों का बराबर-बराबर समान अधिकार (हिस्सा) रहेगा।

13. **एकाउन्ट्स/आडिट** या आय व्यय का लेखा परीक्षण–यह कि ट्रस्ट(न्यास)की वर्ष भर के आय व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट किसी मान्यता प्राप्त (रजिस्टर्ड) आडिटर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

14. **ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार–**

(अ) अध्यक्ष/प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) के निम्न कार्य व अधिकार होंगे –

(1) ट्रस्ट(न्यास) के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। बैठकों को बुलाना व सूचना देना तथा बैठकों की तिथि समय व स्थान का निर्धारण करना। बैठकों में प्रस्ताव रखना तथा दूसरे सदस्य को प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान करना। बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम रखना। प्रबन्धक ट्रस्ट (न्यास) का प्रशासक व व्यवस्थापक होगा।

(2) ट्रस्ट के प्रशासन सम्बन्धि रिकार्ड को अपने पास सुरक्षित रखना व ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना अथवा समयानुसार उसका उपयोग करने का प्रबन्धक को पूर्ण अधिकार होगा

(3) बोर्ड आफ ट्रस्टीज (न्यास मण्डल) को भंग करना अथवा कार्यकाल बढ़ाना तथा आवश्यकतानुसार पुनः चुनाव कराना प्रबन्धक का दायित्व होगा।

(4) समय–समय पर आयोजित बैठकों में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अन्तिम रूप देना तथा उन्हे क्रियान्वित करना।

(5) वित्तीय एवं प्रशासनीक अधिकार तथा मतदान का विशेष अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना।

(6) बैठको में विघ्न पहुँचाने वाले दोषी लोगों को बैठको से निष्कासित करना तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करना अथवा त्याग पत्र स्वीकार करना।

(7) ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति व ट्रस्ट से संचालित संस्थाओं की देखभाल करना एवं सुरक्षा करना तथा उनसे सम्बन्धित अभिलेखों/दस्तावेजों अथवा रिकार्डों को अपने पास सुरक्षित रखना।

(8) ट्रस्ट की समस्त मूल अभिलेखों/दस्तावेजो को अपने पास सुरक्षित रखना।

(9) बैठको की कार्यवाही करना तथा उनकी कार्यवाही रजिस्टर पर लिखना या किसी से लिखवाना।

(10) ट्रस्ट की ओर से समस्त बिल वाउचरों अथवा ट्रस्ट के सभी सरकारी, गैर सरकारी या विभागीय कागजों/दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(11) कर्मचारियों की योग्यतानुसार नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, वेतन वृद्धि, नियमितीकरण करना।

(12) ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना अथवा जाँच की अवधि तक निलम्बित करना। तथा सन्तुष्ट होने पर दोष मुक्त करना।

(13) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु सरकार अथवा किसी व्यक्ति, कम्पनी या सोसाइटी द्वारा अनुदान प्राप्त करना व उसका सदुउपयोग करना।

(14) यदि किसी कारण वश ट्रस्ट के सदस्यों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर प्रबन्धक द्वारा दिये गये निर्णय सर्वमान्य व अन्तिम होगा जिसे कोई सदस्य चुनौती नही दे सकता है।

(15) किसी विवाद के निस्तारण में समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना तथा योग्य व्यक्ति को अपना अन्तिम निर्णय देना प्रबन्धक का अधिकार होगा।

(16) ट्रस्ट (न्यास) की ओर से सभी कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना अनुमोदन करना तथा उसके सापेक्ष कानूनी कार्यवाही करना प्रबन्धक का पूर्ण अधिकार होगा।

(17) ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों, कालेजों और संस्थाओं के प्रबन्धन एवं संचालन तथा विकास सम्बन्धी सारे प्रशासनिक कार्यों को करना प्रबन्धक का पूर्ण अधिकार होगा।

(18) ट्रस्ट के विकास हेतु अनुदान प्राप्त करना व समस्त सम्पत्तियों एवं धनराशियों का उपयोग करना और उनको सुरक्षित करना। तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के लिये भूमि क्रय करना, भवन निर्माण करवाना और ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिये समस्त चल–अचल सम्पत्ति का उपयोग करने का प्रबन्धक को पूर्ण अधिकार होगा । और संस्था के अतिरिक्त कृषि कार्य हेतु भूमि क्रय करना।

(ब) सचिव ट्रस्टी – के निम्न कार्य होंगे।

(1) ट्रस्ट के सदस्यों/पदाधिकारियों को समय–समय पर उचित सलाह देना। और प्रबन्धक/मुख्य न्यासी का सहयोग करना।

(2) ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, कालेजों, प्रतिष्ठानों और संस्थाओं की नियमित देख भाल करना व सुरक्षा करना तथा संस्थाहित में कार्य करना।

(3) ट्रस्ट के संरक्षण सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्यों को करना सचिव का उत्तरदायित्व होगा।

(4) संस्था के प्रगति हेतु प्रचार–प्रसार करना एवं समस्त ज्ञापनों व विज्ञापनों का प्रकाशन व भुगतान करना।

(5) ट्रस्ट की बैठकों में भाग लेना एवं अनुमति लेकर प्रस्ताव रखना।

(स) कोषाध्यक्ष ट्रस्टी – के निम्न कार्य होंगे।

(1) प्रबन्धक के इच्छानुसार आय–व्यय का लेखा जोखा तैयार करना या करवाना।

(2) प्रबन्धक के सहमति से समस्त कार्य करना।

(3) प्रबन्धक के सहमति से धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना या करवाना।

(4) ट्रस्ट (न्यास) हित में सभी प्रकार का कार्य करना तथा प्रबन्धक का सहयोग करना तथा प्रबन्धक के निर्देशानुसार निर्धारित कार्यों को करना।

(5) ट्रस्ट के बैठकों में उपस्थित होना एवं अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव रखना ।

(द) सदस्य ट्रस्टी :– ट्रस्ट के सदस्य ट्रस्टीगण ने प्रबन्धक/मुख्य न्यासी के प्रत्येक कार्यों में सहयोग करेंगे तथा ट्रस्ट की बैठक में अनुमति लेकर प्रस्ताव रखने का कार्य करना।

15. **संशोधन प्रक्रिया** :– ट्रस्ट के संविधान के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत या समय–समय पर जारी नियमों के अनुसार प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) द्वारा किया जायेगा। तथा आवश्यकतानुसार संशोधित विलेखों का

आवेदन सं०: [illegible]

न्यास पत्र

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 69 वर्ष: 2022

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 1250 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 140

श्री अनिल कुमार मिश्रा,
पुत्र श्री गणेश
व्यवसाय : अन्य
निवासी: [illegible] आजमगढ़ [illegible]

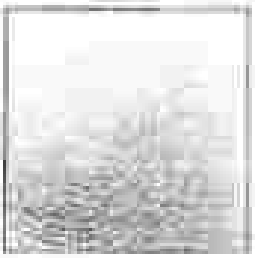

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/08/2022 एवं [illegible] बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार
उप निबंधक :सदर
आजमगढ़
24/08/2022

[illegible]
निबंधक लिपिक
24/08/2022

प्रिंट करें

प्रमाणिकरण करा सकेंगे परन्तु किसी भी दशा में ट्रस्ट के मूलभूत अभिलेखों में संशोधन नहीं होगा।

16. **ट्रस्ट का कोष** :— ट्रस्ट (न्यास) का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा, जिसे मुख्य न्यासी/प्रबन्धक/अध्यक्ष के एकल हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जायेगा।

17. **कानूनी कार्यवाही** :— यह कि ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ट्रस्ट के प्रबन्धक/मुख्य न्यासी का होगा। अदालत में दाखिल मुकदमें की पैरवी प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के खर्च पर किया जायेगा। सारे कानूनी कार्यवाही भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत किया जायेगा।

18. **ट्रस्ट का अभिलेख** :— ट्रस्ट के अभिलेख जैसे ट्रस्ट डीड, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सूचना रजिस्टर, बैठक सम्बन्धी रजिस्टर, व कैशबुक, पासबुक एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज बैनामा, ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के मान्यता आदि कागजात को प्रबन्धक/मुख्य न्यासी अपने पास सुरक्षित रखेगा।

19. ट्रस्ट के विघटन या विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत की जायेगी अथवा विघटन व विघटित होने की स्थिति में दूसरे ट्रस्ट बनाने या नाम परिवर्तन करने अथवा स्थान परिवर्तन करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के नाम क्रय की गयी भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग करने तथा विक्रय करने का पूर्ण अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्ष/मुख्य न्यासी का होगा।

20. यह कि ट्रस्ट/ संस्थान के नियमों, प्रतिबन्धों कार्यकलाप सम्बन्धी विवरण तथा अन्य प्रावधानों के बारे में शंका उत्पन्न होने पर ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

21. यह भी ट्रस्ट के प्रमुख डीड (न्यास विलेख) में लिखित मानकों व शर्तों एवं ट्रस्ट के नियमानुसार यह ट्रस्ट चलता रहेगा। ट्रस्ट की धन (कोष) का निवेश व खर्च ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए अध्यक्ष /(मुख्य न्यासी) और ट्रस्टीज (सदस्य न्यासी) के बिच यह अनुबन्ध हुआ है कि–

(1) प्रबन्धक के कार्यों में सभी सदस्य (ट्रस्टीज) मिल जुलकर सहयोग करेंगे। प्रबन्धक द्वारा बताये गये सभी कार्य को सभी सदस्य पूर्ण करेंगे तथा प्रबन्धक के बातों को सभी सदस्य मनाने के लिए बाध्य होंगे।

(2) ट्रस्ट के प्रबन्धक के कार्यों में जो सदस्य सहयोग नहीं करेगा अथवा ट्रस्ट हित में कार्य नहीं करेगा या ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करेगा तो उसे प्रबन्धक किसी भी समय निष्कासित कर सकता है।

(3) प्रबन्धक के उत्तराधिकारी, प्रबन्धक/मुख्य न्यासी के पुत्र को ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) में घोषित किया गया है। इसके विरूद्ध यदि कोई सदस्य विरोध करता है तो उसके विरोध को अनुचित, तथ्यहीन, व निरर्थक समझा जायेगा।

(4) सभी सदस्य एक मत से प्रबन्धक/मुख्य न्यासी के साथ रहेंगे। बुरा आचरण करने या विरोध प्रकट करने पर तथा न्यास/ट्रस्ट विरूद्ध कार्य करने पर उसे किसी भी समय पदमुक्त या हटाया जा सकता है। यह विनियम न्यास/ट्रस्ट के डीड (विलेख)में

आवेदन सं०: 202208600085482

बही सं०: 1 | रजिस्ट्रेशन सं०: 39 | वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री [illegible] कुमार मिश्रा, पुत्र श्री गणेश

निवासी: ग्राम [illegible] तहसील लालगंज जिला आजमगढ़।

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सन्तोष पाण्डेय, पुत्र श्री [illegible] पाण्डेय

निवासी: ग्राम [illegible] तहसील लालगंज जिला आजमगढ़।

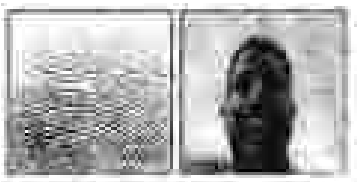

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री अवधेन्द्र यादव, पुत्र श्री [illegible] यादव

निवासी: ग्राम [illegible] तहसील लालगंज जिला आजमगढ़।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार
उप निबंधक : लालगंज
आजमगढ़
24/08/2022

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

अभिलेखपाल
निबंधक लिपिक आजमगढ़
24/08/2022

प्रिंट करें

उल्लिखित नियमों को हम ट्रस्ट (न्यास सदस्यों) द्वारा पूर्ण शक्ति एवं प्रभाव से पालन किया जायेगा।

घोषणा-पत्र

अतः "माँ राजेश्वरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट" के तरफ से मैं रविन्द्र कुमार मिश्र **मुख्य न्यासी/संस्थापक/अध्यक्ष** के रूप में घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास विलेख को पढ़कर व समझकर अपने स्वस्थ मन, चित्त एवं बुद्धि से सोच व समझकर यह ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) को निबन्धन/रजिस्ट्रेशन हेतु उपनिबन्धन कार्यालय लालगंज-आजमगढ़ में प्रस्तुत किया है। जिससे कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अन्तर्गत उक्त न्यास/ट्रस्ट का विधिवत गठन (पंजीकृत) हो सके। प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

(1) हस्ताक्षर [illegible]
संस्थापक/मुख्य न्यासी (अध्यक्ष)
मो० नं० 9936854351

मसविदाकर्ता [illegible]
स्थान–तह० लालगंज,
आजमगढ़।

(2) हस्ताक्षर साक्षीगण

साक्षी नं.1.
हस्ताक्षर [illegible]
नाम सन्तोष पाण्डेय पुत्र स्व० राजकुमार पाण्डेय
पता ग्रा० रतौला, पो० सरायपन्द
तह० लालगंज, जिला आजमगढ़।
मोबा० नं० - 8355 6806 4572

साक्षी नं. 2
हस्ताक्षर [illegible]
नाम अरविन्द यादव पुत्र श्री रामचन्द्र यादव
पता ग्रा० मरदा आदि, पो० आदि
तहसील - लालगंज - आजमगढ़
मोबा० नं० 812 1672 7317

आवेदन सं०: 202200969005452

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 85 के पृष्ठ 367 से 392 तक क्रमांक 59 पर दिनांक 24/08/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार
उप निबंधक : लालगंज
आजमगढ़
24/08/2022

उप निबंधक लालगंज जिला आजमगढ़
उत्तर प्रदेश

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर